संख्या-425 /26-ब0प्र0-12-69(बजट)/2008

प्रेषक,

एन.एच. रिजवी
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर,, 2012

विषय : **वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पी0एफ0-I/2011-1694, दिनांक 28.03.2012 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-111/76/एक/ आई0एच0एस0डी0पी0/2012-13, दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नांकित तालिका में वर्णित परियोजना के सम्मुख स्तम्भ-4 के अनुसार भारत सरकार से स्वीकृत कुल परियोजना लागत के दृष्टिगत **अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 मे जनपद सहारनपुर की 208 आवासो के सापेक्ष 201 आवासो की 01 परियोजना हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में उल्लिखित **रू0 1,62,59,000/- (रू0 एक करोड़ बासठ लाख उन्सठ हजार मात्र)** की केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-801/26-ब0प्र0-2008-69(बजट)/2008, दिनांक 17.10.2008 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (सेन्टेज चार्जेज व लेबर सेस अतिरिक्त)।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति अवस्थापना सुविधाओं सहित (केन्द्रांश+राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	208	390.44	201	162.59
	योग				**162.59**

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उन्हीं परियोजनाओं पर उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी जो व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से अनिवार्यतः मूल्यांकित/अनुमोदित है।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
3. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण एवं सम्बन्धित जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तर से निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
4. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

444/AD
श्री योगेश (A0)

क्रमशः..........2/

अपर निदेशक
01/11/12

5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्राविधानों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
9. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण के वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगें।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेगें कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–1813/69–1–07–14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या–1447/69–1–10–14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है, एवं आगणन सहित अन्य किसी भी कारण से त्रुटिवश अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0(अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखा शीर्षक **"4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–60–अन्य शहरी विकास योजनायें–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–05–इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.80/रा.20–के.+रा.)–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–1267/दस–2012, दिनांक 26.10.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव।

संख्याः 425(1)/26–ब0प्र0–12–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनु0–1
5. नियोजन अनु0–4
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा, को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव।